UPBN010038432025

न्यायालय– जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।

उपस्थित– विवेक संगल, एच०जे०एस०

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–17/2025

1– सुनीता देवी पत्नी अमित कुमार

2– राजेश चन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल

हाल निवासीगण मौहल्ला नंबर 01, थाना रोड बिल्सी, पर०–कोट, तहसील–बिल्सी

... ... अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1– महेश चन्द्र
2– धुरवेश कुमार
3– मुनीश्वर दास
पुत्रगण रामेश्वरदयाल

4– सुनील कुमार
5– अनिल कुमार
पुत्रगण सुरेश चन्द्र

निवासीगण ग्राम बांस बरौलिया, पर०–कोट, तहसील–बिल्सी, जिला–बदायूँ।

6– संगीता उर्फ सुनीता पत्नी मुनीश्वर दास निवासी ग्राम वांस बरौलिया, परगना कोट, तहसील –बिल्सी, जिला–बदायूँ हाल निवासी ब्रजघाट तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला–हापुड़।

.....प्रत्यर्थीगण/वादीगण

निर्णय

1– यह प्रकीर्ण सिविल अपील प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा मूलवाद संख्या–113/2025 महेश चन्द्र आदि बनाम सुनीता देवी आदि के प्रकरण में

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.04.10 15:58:03 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल जज (जू०डि०), सहसवान के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19–04–2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से वादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6ग पर वादीगण को दावा दायर करने की तिथि पर एकपक्षीय रूप से सुनते हुए विवादित भूमि गाटा संख्या–454 रकवा 3.303 हे० के वकदर 1/7 स्थित ग्राम बांस बरौलिया परगना कोट तहसील–बिल्सी, जिला–बदायूँ पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।

2– मैंने पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त मूलवाद प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया किया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र 6ग सपठित शपथ–पत्र 7ग प्रस्तुत किया था। प्रार्थना–पत्र 6ग में संक्षेप में इस आशय के आधार लिए गए हैं कि वाद–पत्र एवं शपथ–पत्र में दिए गए तथ्यों एवं कारणों के आधार पर भूमि स्थित ग्राम बांस बरौलिया परगना कोट तहसील बिल्सी, जिला–बदायूँ की गाटा संख्या–454 रकवा 3.303 हे० के वकदर 1/7 यानी 0.4719 हे० पर प्रतिवादीगण को वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान करने व प्रतिवादी संख्या–1 को वादान्तर्गत भूमि किसी अन्य को विक्रय करने से रोका जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि भूमि स्थित ग्राम बांसा बरौलिया पर० कोट, तहसील–बिल्सी, जिला–बदायूँ की गाटा संख्या–454 रकवा 3.303 के वकदर 1/7 भाग पर प्रतिवादी संख्या–1 को किसी अन्य को भूमि विक्रय करने तथा उसके नौकरों, एजेंटों, मददगार, अभिकर्ता को वादीगण के शांतिपर्ण उपभोग करने में व्यवधान करने से रोके जाने की कृपा करें।

4– इस अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित मूल वाद प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा संक्षेप में इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया था कि वे प्रश्नगत भूमि पर सहसंक्रमणीय भूमिधर हैं व काबिज आराजी हैं। उक्त भूमि श्रीदेवी उर्फ सावित्री देवी को वादीगण के पूर्वजों से बतौर वारिस प्राप्त हुई एवं इस प्रकार वादीगण श्रीदेवी के बाद उक्त भूमि में उनके बतौर उत्तराधिकारी हैं, वादीगण की पूर्वाधिकारी बूढ़ी व कमजोर महिला है, आँखों से कम दिखायी देता है, कानों से नहीं सुन पाती हैं तथा चलने–फिरने की शक्ति नहीं रह

गयी है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। चूँकि चिकित्सक की राय के अनुसार उन्हें सात दिन तक निरन्तर बिल्सी स्थित चिकित्सक के क्लीनिक पर ले जाने का परामर्श दिया गया था, वादीगण का सगा भाई प्रतिवादी संख्या–2 अपने पूरे परिवार सहित बिल्सी में रहता है, इस कारण वादीगण अपनी माँ श्रीदेवी उर्फ सावित्री देवी को उक्त सतत चिकित्सा हेतु प्रतिवादी संख्या–2 के पास छोड़ आये जिससे कि उनकी सुचारू चिकित्सा/दवा आदि करायी जा सके। करीब एक माह बाद गाँव के कुछ लोगों द्वारा सुना गया कि श्रीदेवी उर्फ सावित्री देवी से उनकी भूमि का बैनामा राजेश चन्द्र ने करा लिया है जिसके निरस्तीकरण हेतु वाद संख्या–296/2022 योजित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार न्यायालय तहसीलदार बिल्सी में नामांतरण की एकपक्षीय आदेश दिनांकित–07–08–2023 को निरस्त कराने हेतु भी प्रार्थना–पत्र दिनांक–04–10–2023 को प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जा चुका है। प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति के किसी भी अंश को विक्रय कर भूमि विवादित पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान डालने की फिराक में है। ऐसा कर दिए जाने पर वादीगण की सख्त हकतल्फी होगी।

उपरोक्त वर्णित समान आधारों पर ही अंतरिम निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

5– दिनाँक 19–04–2025 को वाद योजित करनेके समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित–19–04–2025 के माध्यम से प्रश्नगत संपत्ति पर यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया।

6– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संक्षेप में इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रश्नगत आदेश न्यायालय से आवश्यक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है, यह भी छिपाया गया है कि बैनामा निरस्तीकरण संबंधी वाद में भी अंतरिम निषेधाज्ञा योजित की गयी थी जो अनुज्ञात नहीं हुई, प्रश्नगत सह–स्वामिनी सावित्री देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, बैनामा निरस्तीकरण के वाद में भी उक्त सावित्री देवी द्वारा बतौर पक्षकार अपने संयोजन हेतु प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर ही उनको पक्षकार बनाया जा सका है। उक्त सभी तथ्यों को वादीगण द्वारा छिपाकर अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया है।

7– उक्त के विपरीत प्रत्यर्थीगण की ओर से इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि संपत्ति दादलाही है, प्रश्नगत आदेश के माध्यम से यथास्थिति कायम रखने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें दोनों ही पक्ष पाबंद हैं एवं ऐसे आदेश से

अपीलार्थीगण को क्या विधिक क्षति है यह भी दर्शित नहीं किया गया है।

8– बहस के दौरान सर्वप्रथम प्रत्यर्थीगण की ओर से विधिक व्यवस्था **अशोक कुमार कटियार बनाम चरनजीत सिंह एवं अन्य पी०एन०पी० 420** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है, ऐसे आदेश के विरूद्ध आदेश 39 नियम 4 सी०पी०सी० के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है।

उक्त के विपरीत अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **ए० बैंकटसुब्बैया नायडू बनाम एस० चलप्पन एवं अन्य 2000(2) ए०आर०सी० 661** प्रस्तुत की गयी है एवं इंगित किया गया है कि उक्त निर्णय में दिए गए विधि मत के अनुसार एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है, भले ही अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र लंबित हो।

9– उपरोक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं के संयुक्त अध्ययन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान स्तर पर अपील पोषणीय न हो। अन्यथा भी प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वे अपील की पोषणीयता के संबंध में अधिक बल नहीं देना चाहते हैं, अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर ही किया जाये।

10– अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **अमरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम अनूप कुमार आदि 2024(3) सी०सी०सी० 221** के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है, जिसमें इस आशय का विधि मत पारित किया गया है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर भूमि के स्वामी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

शहनाज बेगम बनाम जिला जज सुल्तानपुर 2023(2) सी०सी०सी० 732 के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था पारित की गयी है कि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा सह –स्वामिनी के विरूद्ध बिना बंटवारे के पारित नहीं की जा सकती।

तेजेन्द्र सिंह बनाम मोहम्मद अनीस अहमद 2023(1) सी०सी०सी० 309 के प्रकरण में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि मत पारित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा निर्गत नहीं की जा

सकती। साथ ही यह भी स्थापित विधि है कि विधि विरूद्ध अध्यासी को भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निष्कासित नहीं किया जा सकता।

11– इस अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि यद्यपि वाद–पत्र में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा बैनामा निरस्तीकरण वाद संख्या–296/2022 महेश चन्द्र आदि बनाम सुनीता देवी योजित करने के तथ्य को प्रकट किया है, परंतु ऐसी दशा में यह स्पष्ट नहीं किया है कि निषेधाज्ञा की प्रार्थना उक्त वाद में क्यों नहीं की गयी एवं निषेधाज्ञा हेतु यह पृथक वाद क्यों योजित किया गया? उक्त के सापेक्ष अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि वादीगण द्वारा स्वीकृत रूप से सावित्री देवी को सह–स्वामी होना अभिकथित किया गया है, परंतु उनको इस वाद में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह भी इंगित किया है कि प्रपत्र संख्या –18ग के अनुसार बैनामा निरस्तीकरण संबंधी उपरोक्त अन्य वाद संख्या–296/2022 में भी मूलतः उक्त सावित्री देवी को संयोजित नहीं किया गया था जिस पर सावित्री देवी द्वारा अपने संयोजन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके उपरांत ही उक्त सावित्री देवी उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी संयोजित हुईं, जैसा कि प्रपत्र संख्या–21ग/2 से स्पष्ट है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अन्य वाद में भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था (प्रार्थना–पत्र की प्रति 54ग/2 आपत्ति की प्रति 54ग/8), परंतु न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा अनुज्ञात नहीं की गयी, जिस पर ही यह पृथक वाद योजित कर अस्थाई निषेधाज्ञा सही तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी। विनिर्दिष्ट रूप से पूछे जाने पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त अन्य वाद में भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र दिया गया था जो स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकरण के वाद–पत्र की प्रमाणित प्रति 14ग व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रति 15ग के अवलोकन से विदित होता है कि ऐसे तथ्य को कदाचित साशय प्रकट नहीं किया गया है अर्थात आलोच्य आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य नहीं लाया गया कि उक्त पूर्व योजित अन्य वाद में भी अस्थाई निषेधाज्ञा याचित की गयी थी, जो अनुज्ञात नहीं की गयी। ऐसे प्रकरणों के संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था 2023(2)सी०सी०सी० 732 में यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सारवान तथ्य को साशय छिपाने की दशा में निषेधाज्ञा का आदेश निरसित किया

जाना चाहिए। उक्त स्थिति के विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता कोई सारवान स्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

12– जबकि वाद–पत्र में पूर्व योजित वाद संख्या –296/2022 का स्पष्ट उल्लेख है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय हेतु भी यह आवश्यक था कि वे इस बिन्दु पर विचार करते कि उक्त वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा याचित क्यों नहीं की गयी एवं उक्त प्रयोजनार्थ यह पृथक वाद योजित कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? परंतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर लेशमात्र भी विचार नहीं किया गया है।

इस बिन्दु पर भी विचार आलोच्य आदेश में नहीं किया गया है कि सावित्री देवी की अनुपस्थिति में कोई अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए अथवा नहीं, जबकि अभिवचनों के अंतर्गत प्रारंभ से ही उक्त सावित्री देवी के सह –स्वामी होने का स्पष्ट उल्लेख है।

13– उपरोक्त समस्त विवेचना के प्रकाश में यह परिलक्षित होता है कि आलोच्य आदेश पारित किए जाने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त आवश्यक बिन्दुओं को संज्ञान में नहीं लिया गया है , बल्कि सरसरी तौर पर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया है। इतना ही नहीं वादीगण ने महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय से छिपाकर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया है। परिस्थितियों की समग्रता में आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, बल्कि कतिपय उपबंधों के अधीन अपास्त किए जाने योग्य है। तदैव यह प्रकीर्ण अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रकीर्ण सिविल अपील स्वीकार की जाती है। मूलवाद संख्या–113/2025 महेश चन्द्र आदि बनाम सुनीता देवी आदि के प्रकरण में सिविल जज (जू०डि०),सहसवान, बदायूँ के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19–04–2025 इन उपबंधों के अधीन अपास्त किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना –पत्र के विरूद्ध वर्तमान तक अपनी आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो तो प्रत्येक दशा में एतद्द्वारा नियत किए जा रहे दिनाँक पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंध में कोई भी स्थगन किसी भी आधार पर अनुमन्य नहीं होगा एवं यह भी, कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियत किए गए दिनाँक पर प्रत्येक दशा में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि

अपीलार्थीगण द्वारा उक्त में से किसी भी अनुपालन में व्यतिक्रम कारित किया जाता है तब यह अपीलीय आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं आलोच्य आदेश दिनांकित– 19–04–2025 यथावत प्रभावी (अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के गुण–दोष के निस्तारण तक) समझा जायेगा।

पक्षगण उपरोक्त उपबंधों के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनाँक 24–04–2026 को उपस्थित हों।

इस अपीलीय पत्रावली को नियमानुसार मूल पत्रावली में संविलित किया जाये।

दिनांक 10–04–2026

(विवेक संगल)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP06516

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 10–04–2026

(विवेक संगल)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP06516

संजीव कुमार